

डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
फल विज्ञान विभाग नौणी - सोलन हिमाचल प्रदेश 173230

पत्र सं. /यू एच एफ / फल विज्ञान / नीलामी / 2023/395-429


दिनांक :18.05.2023

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फल विज्ञान विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी खंडों को हरे घास की नीलामी दिनांक **02.06.2023 को 11:00** पूरवाहन को (खड़कोग क्षेत्र) में रखी गयी है। अतः इच्छुक बोलीदाता मु० 500/- (पांच सौ रूपये) मात्र की धरोहर राशि के रूप में बोली शुरू होने से पहले जमा करवाने अनिवार्य होंगे, जो कि बोली समाप्त होने के पश्चात् असफल बोलीदाता को वापिस कर दी जायेगी। सफल बोलीदाता की यह राशि उसकी बोली की राशि में समायोजित कर दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता को राशि एकमुष्ट जमा करवानी होगी। अतः इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त तिथि व समय के अनुसार नीलामी स्थल में उपस्थित होकर अपनी बोली लगा सकते हैं। नीलामी से सम्बंधित शर्तें निम्न प्रकार से होगी।

नीलामी की शर्तें।


- प्रत्येक बोलीदाता को मु० 500/- (पांच सौ रूपये) मात्र धरोहर राशि के रूप में जमा करवाने अनिवार्य होंगे। जो कि बोली समाप्त होने के पश्चात् असफल बोलीदाता को वापिस कर दी जायेगी और जो सफल होगा उसकी ये राशि उसकी बोली की राशि में समायोजित कर दी जायेगी।
- प्राध्यापक एवम अध्यक्ष को बोली स्वीकार करने अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- सफल बोलीदाता को उच्चतम नीलामी की राशि एकमुष्ट उसी समय जमा करवानी होगी।
- यदि बोलीदाता नीलामी की रकम को उपरोक्त शर्त के अनुसार जमा नहीं करवायेगा तो उसकी धरोहर राशी जब्त कर दी जायेगी।
- बोली समाप्त होने के बाद घास की देख-रेख की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
- प्रत्येक बोलीदाता घास का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक हमारे कर्मचारियों से मिलकर कर सकते हैं।
- यदि सफल बोलीदाता द्वारा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है, तो उसकी निर्धारित क्षतिपूर्ति विभागाध्यक्ष के पास जमा करवानी होगी।
- दिनांक 30.10.2023 तक सारा घास स्वयं बोलीदाता को कटवाते हुए (विश्वविद्यालय परिसर) से बाहर ले जाना होगा। इसके उपरान्त घास काटने नहीं दिया जायेगा।


प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष 18/5/23
फल विज्ञान विभाग
दिनांक:

पृष्ठांकन सं: उपरोक्त:-

उपरोक्त प्रतिलिपि सूचनार्थ व विस्तृत प्रचार की जाती है।

1. समस्त सवैधानिक अधिकारी एवं सभी विभागाध्यक्ष, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी - सोलन।
2. सचिव उपकुलपति, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी -सोलन
3. सम्पदा अधिकारी, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन
4. लोक संपर्क अधिकारी, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन
5. सभी सूचनापट्ट औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन।


प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष 18/5/23
फल विज्ञान विभाग